

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2023—माघ 10, शक 1944

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी, 2023 (माघ 10, 1944)

क्र. 1879-मप्रविस-15-विधान-2023.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2023 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 30 जनवरी, 2023

मंगुभाई पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.